

पत्र संख्या—1/प्रो० (च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.—...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा.प्र.से.,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमणडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:-

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, 2023 का दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक समर्पण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों/ राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित/सेवारत समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से दिनांक 31.12.2023 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी, 2023 का समर्पण दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक अपेक्षित है। उक्त अपेक्षा के अनुरूप दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा।

2. इस हेतु विहित प्रपत्र (छाया प्रति संलग्न) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/gad> पर भी उपलब्ध है।

3. अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली के तहत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों से वांछित अचल संपत्ति विवरणी के अतिरिक्त उक्त सेवा के सदस्यों/ पदाधिकारियों द्वारा विषयाधीन चल—अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी अलग से समर्पित की जाएगी।

3.1 राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी और अन्य किसी सेवा के पदाधिकारी द्वारा भी संदर्भित विवरणी अनिवार्य रूप से समर्पित की जाएगी।

1/3

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संपत्ति विवरणी 15 फरवरी, 2024 तक अपने पदस्थापन संबंधित विभागों/कार्यालयों में समर्पित करने के उपरान्त उसकी एक प्रति संवर्ग नियंत्रण विभागों (सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना) को अवश्यमेव प्रेषित करेंगे।

4.1 राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी और अन्य किसी सेवा के पदाधिकारी अपने—अपने पदस्थापन से संबंधित विभागों में आलोच्य विवरणी समर्पित करेंगे और उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को अनिवार्यतः उपलब्ध करा देंगे।

5. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित फरवरी माह की 28/29 तारीख तक प्राप्त चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी 31 मार्च, 2024 तक सम्बद्ध विभागों के आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक कर दी जाएंगी और सी0डी० सहित उनकी प्रतियां बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को अवश्य प्रेषित कर दी जाएं ताकि सोसाइटी द्वारा उन्हें समेकित रूप से सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सके।

6. राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/ कार्यालयों एवं राज्य सरकार के सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी अपनी संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 15 फरवरी, 2024 तक अपने—अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप देंगे तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा इस हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस पदाधिकारी/कर्मी (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा इस हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी सहित) के माह फरवरी का वेतन विपत्र तभी पारित किया जाए, जब उनके द्वारा वांछित विवरणी समर्पित कर दी गई हो।

साथ ही, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अथवा प्रासंगिक कार्य हेतु प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी वैसे कार्मिकों (पदाधिकारी/कर्मी), जिनके द्वारा वांछित विवरणी समर्पित न की गई हो, की सूची प्रश्नगत फरवरी माह के बाद अपने—अपने नियंत्रण विभाग को अवश्य भेज देंगे।

6.1 सभी विभागीय/कार्यालय प्रधान नियत समयावधि में संदर्भगत विवरणी समर्पित नहीं करने वाले कार्मिकों (पदाधिकारी/कर्मी) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के परिपत्र संख्या—1/प्रो०—1001/2021—सा०प्र०—9603 दिनांक 27.08.2021 (छाया प्रति संलग्न) के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करेंगे और उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

7. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग व नियंत्रणाधीन सभी निदेशालयों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर देंगे।



कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2024 के वेतन की निकासी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की वांछित विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दी गई है अन्यथा वेतन की निकासी न की जाय।

8. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को भी इससे अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

रा.१२.२३
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक—1/प्रो०(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.—...../पटना—15, दिनांक दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:—अखिल भारतीय सेवा (बिहार संवर्ग—केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सेवारत पदाधिकारी सहित) के सभी पदाधिकारी/प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी/केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारियों/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/राज्य सरकार के नियंत्राधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, पर्षद इत्यादि) के प्रधान/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रा.१२.२३
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक—1/प्रो०(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.—...../पटना—15, दिनांक दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:—स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली—110 001/उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रा.१२.२३
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—1/प्रो०(च.अ.)—1001/2012—सा.प्र.—...../पटना—15, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—06/आई० टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक से अनुरोध है कि वे पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अवश्य डाल देंगे तथा इसे सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनके ई—मेल आई०डी०/एस०एम०एस० पर अविलम्ब प्रेषित कर देंगे।

रा.१२.२३
सरकार के विशेष सचिव।

3/3

ज्ञापांक:- 1702123

दिनांक:- 29/12/23

प्रतिलिपि:-

1) सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी चिकित्सकों (मानदेय वाले को छोड़कर) एवं तृतीय वर्ग कर्मियों जिनके वेतन की निकासी प्राचार्य कार्यालय द्वारा किया जाता है का चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्यों की विवरणी दिनांक-15.01.2024 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय आवश्यक रूप से समर्पित कराना सुनिश्चित करावें। विहित प्रपत्र कालेज के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

जिन कर्मी के द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्यों की विवरणी ससमय समर्पित नहीं किया जायेगा उनके जनवरी-2024 के वेतन की निकासी नहीं की जायेगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

प्रतिलिपि:- श्री विशाल पराशर, लिपिक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यालय के लेखाशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विवरणी समर्पित के पुर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है।

1) विवरणी A4 Size में सफेद रंग के कागज पर कम्प्यूटर टंकित होना अनिवार्य है हस्तालिखित एवं मैनुअल टाईप स्वीकार योग्य नहीं है।

2) विवरणी तीन पेज में ही हो, पृष्ठ एक साईड ही टंकित हो और प्रत्येक पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

3) विवरणी में किसी प्रकार के काट कूट और Whitener का प्रयोग वर्जित है।

AbheRajesh
29/12/23.
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
~~1.02~~ मुजफ्फरपुर
~~29/12/23.~~